संख्या क0नि0-5-2120/11-2001-312(338)/2000

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त उप निबंधक,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 7 अप्रैल 2001

विषय- तथ्य छिपाकर रजिस्ट्री कराने वालों के द्वारा किये जा रहे स्टाम्प शुल्क के अपवचंन की शिकायतों के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन में समय-समय पर तथ्य छिपाकर रजिस्ट्री कराने वालों द्वारा किये जा रहे स्टाम्प शुल्क के अपवंचन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती है जिन पर सम्बन्धित उप/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन अथवा उप निबन्धक से आख्या मांगी जाती है। प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित उप/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन अथवा उप निबन्धक ऐसी शिकायत प्राप्त होते ही बिना स्थल निरीक्षण करके तथ्यों की पुष्टि किये ही शिकायत के आधार पर धारा 47-क(3) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ कलेक्टर के न्यायालय में स्टाम्पवाद प्रारम्भ कराकर शासन को अपनी आख्या भेज देते हैं। शासन द्वारा इस प्रक्रिया को उचित नही पाया गया है। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि बिना विश्वास के सही कारणों के तथा बिना तथ्यों की पुष्टि किये किसी भी लिखत पर स्टाम्प वाद नही प्रारम्भ करना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि सम्बन्धित उप/ सहायक महानिरीक्षक, निबंधन अथवा उप निबंधक ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर स्थल निरीक्षण करके इस बात की अवश्य पुष्टि कर लें कि पक्षकारों ने स्टाम्प शुल्क की

प्रभार्यता सम्बन्धी तथ्य छिपाये है और पुष्टि करने के उपरान्त ही वे स्टाम्प वाद प्रारम्भ कराये तथा शासन एवं महानिरीक्षक, निबंधन को अपनी आख्या प्रेषित करें। यदि किसी अधिकारी द्वारा इन निर्देशों के विपरीत बिना स्थल निरीक्षण किये आख्या प्रेषित की जायेगी तो उसे स्वीकार्य नही माना जायेगा।
2- कृपया उपरोक्तानुसार प्रत्येक मामले में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय
ह०/-
टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या क0नि0-5-2128(1)/11-2001-312(338)/2000 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1 स्टाम्प आयुक्त एवं अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2 समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
ह०/-
(यू0के0एस0चौहान)
विशेष सचिव